प्रेषक,

आनन्द कुमार
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0,
लखनऊ।

2- निदेशक,
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 07 सितम्बर, 2020

विषय-कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की जॉच हेतु 01 अदद चिकित्सालय उपकरण True Nat-Real Time quantitive Micro PCR मशीन के क्रय की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने (महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) पत्रांक-एमई/ पर्चेज/कोविड-19/1073, दिनांक 23 अगस्त, 2020 (प्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ हेतु चालू वित्तीय वर्ष में उपकरण मद में प्राविधानित धनराशि से True Nat-Real Time quantitive Micro PCR Machine का क्रय प्रोप्राइटरी आइटम के आधार पर किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-44/2020/1481/71-2-20-698/2020 टी0सी0-6, दिनांक 01 जून, 2020 द्वारा संस्थान में उपकरण क्रय किये जाने हेतु मानक मद-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र मद में प्राविधानित धनराशि से प्रति नग मूल्य रू0 13,44,000/- की दर से 02 नग True Nat-Real Time quantitive Micro PCR Machine का टैक्स सहित मूल्य रू0 26,88,000/- (रूपये छब्बीस लाख, अटठासी हजार मात्र) क्रय किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संस्थान में 01 अदद True Nat-Real Time quantitive Micro PCR Machine क्रय किये जाने के संबंध में महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-031 के अंतर्गत पूँजीलेखा में संस्थान के उपकरण एवं संयंत्र मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 13,44,000.00 (रूपये तेरह लाख चवालिस हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की निम्निलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1- नियमानुसार पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाते हुये ही True Nat-Real Time quantitive Micro PCR मशीन का क्रय किया जाये।

2- True Nat मशीन के प्रोपरायटरी होने का निर्धारण किये जाने का दायित्व महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 तथा निदेशक, संस्थान, लखनऊ का होगा।

3- True Nat मशीन (04 स्लॉट की सुविधायुक्त) के स्पेक्स (विशिष्टियॉं) का निर्धारण, आडिट एवं गुणवत्ता मानक आदि का दायित्व निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- महानिदेशक द्वारा Molbio Diagnostics Pvt. Ltd फर्म के कोटेशन के आधार पर प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है, यदि संबंधित फर्म द्वारा गलत सूचना दी गयी है, तो फर्म को ब्लैकलिस्ट किया जायेगा।

5- मशीन के क्रय के उपरान्त विभागीय बजट में प्राविधानित धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर (क्रयादेश/ मशीन स्थापना की सूचना सहित) वित्त नियंत्रक /वित्त अधिकारी, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ द्वारा शासन/महानिदेशक को उपलब्ध कराया जायेगा।

6- मशीन का क्रय प्रचलित सुसंगत क्रय नियमों/अन्य नियमों का पालन करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर निर्गत सुसंगत नियमों व शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7- कोविड-19 की आकस्मिकता के दृष्टिगत महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, द्वारा संस्थान को यथापेक्षित सहयोग प्रदान कर नियमानुसार त्वरित कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

8- वास्तविक आवश्यकता/उपयोगिता के आधार पर ही संबंधित मशीन के क्रय की कार्यवाही संस्थान के स्तर से नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

9- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा, जब मशीन के क्रय संबंधी समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति संस्थान द्वारा कर ली गयी हो।

10- स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक/डाकघर आदि में किसी भी दशा में नहीं रखा जायेगा।

11- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय, आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

12- निदेशक/वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी सस्थान द्वारा क्रय हेतु भण्डार क्रय नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

13- उक्त मशीन एवं किटस का क्रय किए जाने के संबंध में समस्त औपचारिकताएं नियमानुसार पूर्ण किए जाने के पश्चात, यदि मशीन के क्रय के पश्चात धनराशि की बचत होती है तो उसे चालू वित्तीय वर्ष में क्रय किए जाने वाले अन्य उपकरणों में तदनुसार समायोजित किया जायेगा।

14- उपकरणों का क्रय सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर किया जायेगा। किसी भी स्थिति में स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय नहीं किया जायेगा।

15- स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

16- मशीन के क्रय के संबंध में सुसंगत नियमों इत्यादि का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का संपूर्ण दायित्व निदेशक/ वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान का होगा।

17- प्रोप्राइटरी श्रेणी के उपकरण के क्रय एवं स्थापना से संबंधित समस्त वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

5- True Nat-Real Time quantitive Micro PCR Machine पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक अनुमान अनुदान संख्या-031-चिकित्सा विभाग(चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के पूँजी लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-04-डा0राममनोहर लोहिया इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, गोमतीनगर, लखनऊ-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आनन्द कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या-56/2020/3522(1)/71-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5. वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग-3/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(प्रेम शंकर तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in